फारम सं०--563

क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख
	2.	3.

न्यायालय, लगानवाद उप समाहर्ता सदर, राँची।

परमीशन वाद संख्या–1061 R 8 II / 2019–20

दीपक कुजूर वगैरह ....आवेदकगण।

बनाम

झारखण्ड सरकार ....विपक्षी।

आदेश

10/9/20

1. दीपक कुजूर वो 2. संजय कुजूर दोनों के पिता–स्व० पातरिक कुजूर, दोनों जाति–उरांव, निवासी ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, ज़िला–राँची ने निम्नांकित जमीन को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत विक्रय हेतु आवेदन दायर किये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
मलार	112	12	7	70 डी०
		12	8	30 डी०
				जमा रकबा:100 डी० (एक एकड़)

आवेदकगण प्रस्तावित जमीन को खरीददार, सुमन स्टेला कुजूर पिता–स्व० पातरिक कुजूर, जाति–उरांव, निवासी ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, जिला–राँची के साथ बिक्री करना चाहते हैं कारण कि आवेदकगण को मकान बनाने वो अन्य आवश्यक कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता है। तथा खरीददार उक्त भूमि को क्रय कर मकान निर्माण एवं अन्य कार्य करना चाहते हैं।

आपत्ति के लिए अंचल पदाधिकारी ईटकी अंचल एवं आम जनता ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, जिला–राँची को नोटिश दी गयी। नोटिश का तामिला प्राप्त है। अभी तक किसी की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदित भूमि की बिक्री के संबंध में अंचल पदाधिकारी ईटकी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल पदाधिकारी ईटकी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, साथ में क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित सहित संलग्न होकर प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि आर० एस० खतियान में जोगिया पाहन वगैरह के नाम से दर्ज है। तथा पंजी–II में खरीदगी के आधार पर पतरीक कुजूर के नाम से कुल रकबा–4.15 एकड़ भूमि का जमाबन्दी कायम है। आवेदित भूमि बिक्री करने के बाद भी आवेदकगण के पास संयुक्त रूप से लगभग–3.15 एकड़ भूमि शेष बचती है। आवेदकगण के आवेदन पत्र के अनुसार एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया खरीदगी पट्टा के अनुसार आवेदित भूमि आवेदकगण के पिता, पतरिक कुजूर की खरीदगी भूमि है। जिसे पतरिक कुजूर ने निबंधित विक्रय पट्टा के द्वारा उक्त भूमि चरोवा मुण्डा वल्द जोगिया मुण्डा से खरीद कर हासिल किये थे। जिसका दस्तावेज संख्या–734 / 691, वर्ष–1977 ई० है, जो निबंधन कार्यालय, राँची में पंजीकृत है। उक्त भूमि खरीदने के पश्चात् अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज कराकर पतरिक

उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर राँची

SUJAY KUMAR NOTARY PUBLIC Regd. No. 1335/2018 Govt. of India Jharkhand Ranchi

Certified Photo Copy Compered by me..........

Certified to be true copy Date.......... Record Keeper/Head Clerk Ranchi

कुजूर अपने नाम से लगान रसीद प्राप्त करते रहे। पतरिक कुजूर के दो पुत्र, 1. दीपक कुजूर वो 2. संजय कुजूर हैं, जो इस वाद में आवेदकगण हैं। इन दोनों भाईयों के बीच भूमि का आपसी बंटवारा (मौखिक) पूर्व में ही हो चुका था और संजय कुजूर अपने नाम से रकबा–2 एकड़ 7.5 डी० जमीन का दाखिल खारिज करा चुके है, लेकिन कुल जमीन में दोनों भाई (आवेदकगण) का बराबर का हिस्सा है तथा साम्मिलात खेती बारी करते आ रहे हैं। इसलिए दोनों भाई (आवेदकगण) एक साथ मिलकर आवेदित जमीन को क्रेता (बहन) के साथ बिक्री करने हेतु अनुमति चाहते हैं। आवेदकगण पंजी–II रैयत, पतरिक कुजूर के उत्तराधिकारी (पुत्रगण) हैं। आवेदित भूमि पर आवेदकगण का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। इस जमीन की बिक्री के संबंध में आवेदकगण का खास ब्यान लिया गया, जिसका पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता ने किया है। विक्रय वाली जमीन पर किसी प्रकार का कोई केस मुकद्मा नहीं चल रही है। आवेदकगण / बिक्रेतागण की ओर से एक ही थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ–पत्र सं०–996, दिनांक–08.07.2019 दाखिल किया है, जो अभिलेख में संलग्न है तथा क्रेता की ओर से एक ही थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ–पत्र सं०–995, दिनांक–08.07.2019 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची के द्वारा निर्गत किया गया स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०–JHRC/2018/1379633 दिनांक–01.02.2019 एवं अंचल पदाधिकारी, ईटकी, राँची के द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र सं०–JHCST/2019/23584, दिनांक–14.09.2019 तथा आधार कार्ड का छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं तथा एक ही थाना वो जिला–राँची के निवासी हैं। अंचल पदाधिकारी ईटकी, राँची ने आवेदित भूमि की बिक्री करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल पदाधिकारी ईटकी, राँची के अनुशंसा के आधार पर मौजा–मलार के खाता नं०–12, प्लॉट नं०–7, 8, क्रमशः रकबा–70 डी० एवं 30 डी०, जमा रकबा–1.00 एकड़ (एक एकड़) भूमि को आवेदकगण, 1. दीपक कुजूर वो 2. संजय कुजूर दोनों के पिता–स्व० पातरिक कुजूर, दोनों जाति–उरांव, निवासी ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, जिला–राँची को खरीददार, सुमन स्टेला कुजूर पिता–स्व० पातरिक कुजूर, जाति–उरांव, निवासी ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, जिला–राँची के साथ स्थानीय बाजार दर के अनुसार बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार के हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

10.9

लगान वाद उप समाहर्ता
सदर, राँची।

10.9

लगान वाद उप समाहर्ता
सदर, राँची।

तालिका तैयार किया गया तथा हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया ।

10/9/20

लगान वाद उप समाहर्ता
सदर, राँची।

SUSAMA KUMAR
NOTARY PUBLIC
Reg. No.13551/2018
Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

Certified Photo Copy Compared
by me...... 19.9.2020

Certified to be true copy
Date...... Record Keeper/Head Clerk
LRDC Sadar, Ranchi
19.9.20

IN THE COURT OF RENT SUIT DEPUTY COLLECTER RANCHI

SCHEDULE

Case No-1061 R 8 II / 2019--20

1. दीपक कुजूर वो 2. संजय कुजूर दोनों के पिता–स्व० पातरिक कुजूर, दोनों जाति–उरांव, निवासी ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, जिला–राँची।

.....................................Applicant

STATE OF JHARKHAND & OTHER ....Opposite party

In the exercise of the power conferred on U/S 46 of the Chhotanagpur Tenancy Act Amendment Act - IV of 47. I do hereby sanction the transfer of following schedule of lands by the applicant,

To,

खरीददार, सुमन स्टेला कुजूर पिता–स्व० पातरिक कुजूर, जाति–उरांव, निवासी ग्राम–मलार, थाना–ईटकी, जिला–राँची के साथ स्थानीय बाजार दर के अनुसार विक्रय हेतु।

Schedule of lands

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
मलार	112	12	7	70 डी०
		12	8	30 डी०
				जमा रकबा:100 डी० (एक एकड़)

20-9

लगानवाद उप समाहर्ता
सदर, राँची।

Certified Photo Copy Compered by me............ 19.9.2020

Certified to be true copy
Date...... 19.9.20 ......Record Keeper/Head Clerk
LRDC Sadar, Ranchi

उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर राँची

SUJAY KUMAR
NOTARY PUBLIC
Reg. No. 1355/2016
Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

19/9/20

भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE